

न्यायालय नायब तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 17/2024 अर्थात धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य

जरिये पटवारी हल्का नागड़वा।

श्री पूनमसिंह पुत्र नवलसिंह

कौम राजपूत निवासी बूली की ढाणी।

"निर्णय"

दिनांक:- 18.10.2024

पत्रावली आज बमुकाम नागड़वा में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नागड़वा ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने गौजा बूली की ढाणी के खसरा नं. 489/47 रकबा 26.9368 हेक्टर में से 05.00 बीघा किरम गैर मुमकिन धोरा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमण घोरित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेवखल करने का आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपसे 0.60 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपसे 30.00 पूर्णक में 30.00 अक्षर तीस रूपसे मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत्त निम्बला को आवेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल नीलागी फर्द वारसे अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आवेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेवखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आवेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आ.ए. के पास मार्ग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 18.10.2024 को सरेआम सुनाया गया

18
नायब तहसीलदार शिव
नायब तहसीलदार शिव